न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
13	अपील नामा0	23.01.13	22.05.2017

1. रामकन्या   पुत्रियान भोरया जाति दरोगा राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा
2. प्रेम   तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. गुड्डीबाई

–अपीलॉण्ट्स

बनाम

1. चन्द्रपाल पुत्र भोरया (फौत)
   1/1 रतन कंवर पत्नि स्व0 चन्द्रपाल
   1/2 विक्रमपाल पुत्र चन्द्रपाल
   1/3 नरेन्द्रपाल पुत्र चन्द्रपाल(फौत)
   1/3/1 विमला कंवर पत्नि स्व0 नरेन्द्रपाल
   1/3/2 सोनू पुत्र नरेन्द्रपाल
   1/4 निहाल कंवर पुत्री चन्द्रपाल
2. मानपाल पुत्र भौरया
3. राजेन्द्रपाल पुत्र भौरया
4. ग्राम पंचायत एकट जरिये सरपंच।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील बनाराजगी तजबीज निर्णय दिनांक 19.10.01 ग्राम पंचायत एकट बाबत् नामा0 सं0 95 ग्राम रूपपुरा

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ाम पंचायत एकट मे कैम्प कोर्ट मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। क्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून एवं तयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार भोरया पुत्र ीमजी को मृतक मानकर विरासत का नामान्तरकरण खोलने मे भारी भूल की है जबकि भोरया अभी जिन्दा है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण मजमे आम नही भरा गया है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। भोरया को मृतक बताकर नामान्तरकरण भरा है उसमे जो विरासत का सजरा बनाया गया है वह भी गलत बनाया गया है, अपीलॉण्ट सं0 1 लगायत 3 भोरया पुत्र भीमजी की खास पुत्रियां है। इसलिए अपील अपीलॉण्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण सं0 95 दिनांक 19.10.01 ग्राम एकट निरस्त फरमाया जाकर पूर्व खातेदार भोरया पुत्र भीमजी के नाम नामान्तरकरण खोला जावे।

तहसीलदार सपोटरा से अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सम्बन्धित हलका पटवारी के फर्द मौका के अनुसार अपीलॉण्ट्स के पिता भंवरसिह उर्फ भोरया पुत्र भीमजी जाति दरोगा निवासी रूपपुरा के बारे मे जीवित/मृत होने की जानकारी ग्राम की चौपाल पर मजमे आम मे उपस्थित परिवारजनों एवं ग्राम के मौजूदा व्यक्तियों से करने पर अवगत कराया कि भंवरसिह करीबन 40–45 वर्ष पूर्व जब उसकी उम्र करीब 60–65 वर्ष की होगी महात्मा होकर गांव छोड कर चला गया। भंवरसिह उसके बाद आज दिनांक तक न तो किसी परिवारजन को मिला और न ही ... हमारे पास कोई ठोस सबूत नही है। आज

1/1 [illegible]
1/2 दिकनपाल पुत्र चन्द्रपाल
1/3 नरेन्द्रपाल पुत्र चन्द्रपाल(फौत)
1/3/1 विमला कंवर पत्नि स्व0 नरेन्द्रपाल
1/3/2 सोनू पुत्र नरेन्द्रपाल
1/4 निहाल कंवर पुत्री चन्द्रपाल
2. मानपाल पुत्र भौरया
3. राजेन्द्रपाल पुत्र भौरया
4. ग्राम पंचायत एकट जरिये सरपंच।
—रेस्पोडेन्ट्स

अपील बनाराजगी तजबीज निर्णय दिनांक 19.10.01 ग्राम पंचायत एकट बाबत्
नामा0 सं0 95 ग्राम रूपपुरा

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत एकट मे कैम्प कोर्ट मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून एवं खिलाफ मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार भोरया पुत्र भीमजी को मृतक मानकर विरासत का नामान्तरकरण खोलने मे भारी भूल की है जबकि भोरया अभी जिन्दा है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण मजमे आम नही भरा गया है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। भोरया को मृतक बताकर नामान्तरकरण भरा है उसमे जो विरासत का सजरा बनाया गया है वह भी गलत बनाया गया है, अपीलॉण्ट सं0 1 लगायत 3 भोरया पुत्र भीमजी की खास पुत्रियां है। इसलिए अपील अपीलॉण्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण सं0 95 दिनांक 19.10.01 ग्राम एकट निरस्त फरमाया जाकर पूर्व खातेदार भोरया पुत्र भीमजी के नाम नामान्तरकरण खोला जावे।

तहसीलदार सपोटरा से अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सम्बन्धित हलका पटवारी के फर्द मौका के अनुसार अपीलॉण्ट्स के पिता भंवरसिह उर्फ भोरया पुत्र भीमजी जाति दरोगा निवासी रूपपुरा के बारे मे जीवित/मृत होने की जानकारी ग्राम की चौपाल पर मजमे आम मे उपस्थित परिवारजनों एवं ग्राम के मौजूदा व्यक्तियों से करने पर अवगत कराया कि भंवरसिह करीबन 40–45 वर्ष पूर्व जब उसकी उम्र करीब 60–65 वर्ष की होगी महात्मा होकर गांव छोड कर चला गया। भंवरसिह उसके बाद आज दिनांक तक न तो किसी परिवारजन को मिला और न ही किसी ग्रामवासी को। उसके जीवित/मृत होने का हमारे पास कोई ठोस सबूत नही है। आज दिनांक तक परिवारजनों ने ना ही उसके मृत होने की कोई दरखास्त ग्रम पंचायत मे लगाई है। सभी उपस्थित जनसमूह ने जीवित व मृत होने की अनभिज्ञता जाहिर की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलॉण्ट्स के पिता भंवरसिह उर्फ भोरया पुत्र भीमजी की बिना फौत हुए ही उनकी विरासत का उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण खोल दिया गया। किसी लापता व्यक्ति को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के मृत घोषित नही किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलॉण्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 95 दिनांक 19.10.2001 ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का एकट खारिज किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते है कि वह राजस्व रिकार्ड मे दिनांक 19.10.2001 से पूर्व की स्थिति कायम करे। निर्णय सरे राजस्व लोक अदालत मे आज दिनांक 22.05.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत"न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)